

operating a superfast express train between Delhi and Visakhapatnam; and

(c) the steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF):
(a) 8561/8562 Hazrat Nizamuddin-Visakhapatnam, Link Express running in conjunction with 7021/7022 Dakshin Express and 8543/8544 Saintha Express are already available between Delhi (Hazrat Nizamuddin) and Northern coastal districts of Andhra Pradesh.

(b) and (c) w.e.f. July, 94 Time Table for frequency of 8543/8544 Hazrat Nizamuddin-Visakhapatnam Samta Express is being increased from weekly to tri-weekly and the train is also being speeded up by about 4 hrs. to provide a fast service between Delhi and Visakhapatnam.

कर्णावही (एक्सप्रेस) और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का आनन्द रेलवे स्टेशन पर रुकना

7855. श्रीमती आनन्दीबेन जेटाभाई पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अहमदाबाद और मुम्बई के बीच चलने वाली "कर्णावही एक्सप्रेस" और "शताब्दी एक्सप्रेस" रेलगाड़ियों को आनन्द रेलवे स्टेशन पर "स्टॉपेज" देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब से लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्यपूर्ण नहीं है।

Payment of Dividend to the Central Exchequer

7856. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railways have refused to pay dividend to the Central Exchequer till its dues worth Rs. 600 crores against the Central power stations are reimbursed; and

(b) if so, what steps have been taken by the concerned electric supply undertakings to pay off the arrears?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF):
(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वर्तमान रेलवे आरक्षण प्रणाली के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा

7857. श्री रामजी लाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेल टिकटों के आरक्षण की वर्तमान प्रणाली के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार पूछताछ के प्रयोजन हेतु उपलब्ध वर्तमान दूरभाष नंबर 343333 के अतिरिक्त दूरभाष नंबरों की सेवा को आरंभ करेगी;

(ग) क्या सरकार अति विशिष्ट व्यक्तियों के आरक्षण की सूची रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय से "चार घंटे" पहले निकालने के स्थान पर एक दिन पहले निकालेगी; और

(घ) यदि हां, तो यह कब से लागू होगा?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) आरक्षण पूछताछ के प्रयोजन के लिए लगे फोन नं० 343333 के व्यस्त रहने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। टेलीफोन नं० 343333 की मौजूदा 12 लाइनों को बढ़ाकर 24 लाइनें करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) आपात कोटा, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों इत्यादि की आपात यात्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार पूर्वान्हन में छूटने वाली गाड़ियों के लिए आपात कोटा सामान्यतः एक दिन